"बिज़नेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 225] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 31 मई 2013—ज्येष्ठ 10, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 मई 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-31/2013/वाक/पांच (40).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची-2 के भाग-2 में निम्न संशोधन करती है :—

संशोधन

प्रविष्ट क्रमांक 23 के सामने कॉलम (2) में वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्न प्रविष्टि प्रतिस्थापित किया जाय :—

"बिटुमिन (कोल-टार), बिटुमिन इमल्सन"

2. यह संशोधन दिनांक 01-06-2013 से प्रभावशील होगी

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 मई 2013

क्रमांक एफ-10-31/2013/वाक/पांच (40).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-31/2013/वाक/पांच (40) दिनांक 31-05-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 31st May 2013

NOTIFICATION

No. F-10-31/2013/CT/V (40).—In exercise of the powers conferred by section 15-A of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby makes the following amendments in part-II of Schedule-II of the said Act :—

AMENDMENT

In column (2) against entry number 23, for the existing entry the following entry shall be substituted :—

"Bitumen (Coal-tar), bitumen emulsion"

2. This amendment with effect from 01-06-2013.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.